



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

E-Mail-eicpwd@nic.in

पत्रांक- 229 / 01व्यक-सा0 / 19

दिनांक 28/01/2019

कार्यालय ज्ञाप

अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या- 202/111(1)/19-09(27)/सामान्य/18 दिनांक 29.01.2018 द्वारा दिनांक 31.01.2019 को कार्मिकों के सामूहिक अवकाश पर जाने के संबंध में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्दिष्ट किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं क्वालिटी कंट्रोल में तैनात समस्त कार्मिकों की वर्गवार उपस्थिति पंजिका तैयार करते हुए मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) के कार्यालय कक्ष में रखी जायेगी। प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पूर्वाह्न में 10.00 बजे एवं अपराह्न में 3.00 बजे उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी आवश्यक होगी। उपस्थिति पंजिका में कार्मिक द्वारा हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखा जाना अनिवार्य होगा।

पूर्वाह्न में 10.00 से 11.00 बजे एवं मध्याह्न में 3.00 से 4.00 बजे प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) द्वारा कार्यालय का निरीक्षण किया जायेगा तथा उपस्थिति पंजिका के अनुसार सत्यापन भी किया जायेगा।

अतः दिनांक 31.01.2019 को समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपरोक्तानुसार उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त दिवस को किसी भी कार्मिक को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर-1/11/अधिष्ठान, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. डायरेक्टर, क्वालिटी प्रमोशन एवं डिजाइन, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता, क्वालिटी कंट्रोल खण्ड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
9. समस्त सहायक अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
10. अवर अभियन्ता प्राविधिक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
11. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
12. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-1/11, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
13. वरिष्ठ प्रशासनिक/प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन-ख/ग/घ/कार्यप्रभारित/सूचना प्रकोष्ठ/विधि प्रकोष्ठ/विधायी/नियोजन-1/11/111/प्रकीर्ण/परिवाद/कैश वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
14. गार्ड पत्रावली हेतु।

(आर0सी0 पुरोहित)
प्रमुख अभियन्ता
31/01/19

(आर0सी0 पुरोहित)
प्रमुख अभियन्ता
31/01/19

Urgent

upload करें

21/6
20.01.19

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

प्रेषक,

संख्या: 262/111(1)/19-09(27)/सामान्य/18

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 29 जनवरी, 2019

विषय-दिनांक 31.01.2019 को कार्मिकों के सामूहिक अवकाश पर जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-41/XXX(2)/2018/4/काग-2/13, दिनांक 28.01.2019 के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि जनहित याचिका संख्या-115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 के द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

In the matter of Prevention of Recurrent Strikes Organized by various Government/Non Government Unions/Organizations.

उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्मिकों के कार्य बहिष्कार/हड़ताल को निषेध किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में निम्न निर्णय एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

- (1) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि अपरिहार्य परिस्थिति में किसी कार्मिक द्वारा अवकाश लिया जाता है, तो उस पर निर्णय प्रमुख अभियन्ता/सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा गुणा व गुण के आधार पर लिया जायेगा।
- (2) लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका तैयार करते हुये उसमें सभी कार्मिकों की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज करायी जायेगी तथा अपराह्न एवं मध्याह्न प्रमुख अभियन्ता एवं कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति पंजिका के अनुसार सत्यापन किया जायेगा।
- (3) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सभी कार्यालयों का विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे के मध्य एवं सायं 3.00 बजे से 4.00 बजे के मध्य तथा अन्य किसी भी समय कार्यालय का निरीक्षण किया जायेगा तथा अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जायेगी।

अतः इस सम्बन्ध में गुप्त यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

भवदीय

(Signature)

(ओम प्रकाश)

अपर मुख्य सचिव

1.7

Up load करें

21/6

30.01.19

(देवेन्द्र शाह)
अभिशादी अभियन्ता

8/1/2019 (27) 1/19



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 01 2530467, 2530431

Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-Mail-eicpwwduk@nic.in

पत्रांक :- 228 / 01व्यक-सा0 / 19

दिनांक 29 / 01 / 2019

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय / रा0मा0 / विश्व बैंक /
ए0डी0बी0 / पी0एम0जी0एस0वाई0,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून / अल्मोड़ा / पिथौरागढ़ /
हल्द्वानी / टिहरी / पौड़ी।

विषय:- विभिन्न कर्मचारी संगठनों / अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति द्वारा सामूहिक अवकाश / कार्य बहिष्कार के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विभिन्न कर्मचारी संगठनों / अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति द्वारा अपनी मांगों के संबंध में दिनांक 31.01.2019 एवं दिनांक 04.02.2019 को प्रस्तावित आंदोलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सामूहिक अवकाश लिये जाने का कार्यक्रम है। आज दिनांक 29.01.2019 को अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिये गये कि दिनांक 31.01.2019 एवं दिनांक 04.02.2019 को कर्मचारी संगठनों / अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति द्वारा प्रस्तावित आंदोलन कार्यक्रम / कार्य बहिष्कार के अन्तर्गत किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाय।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.01.2019 एवं दिनांक 04.02.2019 को विभिन्न कर्मचारी संगठनों / अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य बहिष्कार / आंदोलन के अन्तर्गत किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाय। इस संबंध में अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

Urgent

1. T
up load on
30.1.19

(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर- I / II / अधिष्ठान, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. डायरेक्टर, क्वालिटी, प्रमोशन एवं डिजाइन, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. अधिशासी अभियन्ता आई0टी0 को इस निर्देशों के साथ प्रेषित कि इस पत्र की प्रति को विभागीय वेब साइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)